

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 11 अ-82/17-18/ नायक चारसी /10780

बैतूल दिनांक 1-9-2018

घोषणा

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कॉलम 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षे. (हे.) में।	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल म0प्र0	बैतूल	नायक चारसी	7.587	चोरनी-मोरनी जलाशय


अनुसूची- 2

(प्रभावित धारकों की सूची)


क्रं.	खबरा नंबर	कुल रकबा हे0 में।	अर्जन का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	1	4.419	2.149	मदारी वल्द मलजी जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी भू-राजस्व
	26	3.749	0.137	
2	5/2	3.400	0.963	सुनील, राकेश वल्द बालकिशन शर्मा जाति ब्राम्हण पता निवासी गांधी वार्ड बैतूल भूमिस्वामी
3	11/2	0.809	0.364	जगदीश बल्द चुन्नीलाल, प्रमिला, विमला पिता चुन्नीलाल पवन, आकाश वल्द रविप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी कोलगांव
	36/2	0.214	0.214	
4	11/3	4.875	1.132	काशीप्रसाद, नर्मदाप्रसाद, सरस्वती, दुर्गा, शशी पुत्री गयाप्रसाद ताप्तिप्रसाद वल्द गयाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. कोलगांव भूमि स्वामी भू-राजस्व
	36/3	0.397	0.397	
5	17/2	2.006	0.040	भीमराव, भाउराव वल्द विनायकराव जाति मराठा पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी

6	56/1	4.300	0.202	अनिता पिता दिनकरराव जाति मराठा पता सा. भूमिस्वामी
7	56/2	4.30	0.203	निशा पिता दिनकरराव जाति मराठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	37	1.619	0.140	कला. वे. मौजीलाल, खुशरतन, जुगल बल्द मौजीलाल जाति नाई पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी
9	23/2	1.604	0.813	कुंवरलाल, गोरेलाल व0. श्यामलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी
10	22/2	2.300	0.833	दशरथ वल्द राधेलाल जाति मेहरा पता सा. देह ,
कुलयोग :-		33.992	7.587	

1. चूंकि चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग



प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजस्व भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
3. कार्यलपान यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 2, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल कर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी एन.आई.सी. सेन्टर, बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय, बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित, एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करवाएं।
9. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दीवान चारसी तहसील बैतूल जिला बैतूल म0प्र0 की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल, एवं समूचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग